यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) CIN:U15209UP1976SGC004285



ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु आवेदन फार्म एवं डाक्यूमेंट

गोमती बैराज, बांया तट गोमती नगर, लखनऊ—206010 Website: www.upprojects.org

On a non judicial stamp paper of Rs 100/-

प्रारूप-2

यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड

शपथ-पत्र

मै	निवासी
	पथपूर्वक बयान करता हुँ –
2. 3.	यह कि शपथी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। यह कि शपथी की फर्म का नामहै। यह कि मेरा पंजीकरण यू0पी0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 में ठेकेदारी हेतु श्रेणी— में शंक
4.	दिनांकदारा जारी किया गया। यह कि पंजीकरण के उपरान्त मेरे द्वारा यू० पी० प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि० के अधीन
क	र्यरत किसी भी इकाई में कोई निर्माण कार्य नही कराया गया और न ही वर्तमान में कराया जा रहा है।
	नांक— पथी
	मैंप्रमाणित करता हुँ कि उपरोक्त बिन्दु सं0 01 से 04 तक दी यी सूचना सत्य है। भविष्य में यदि उपरोक्त सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरा पंजीकरण रस्त कर मेरे द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जब्त कर ली जाये।

शपथी

Note: This Affidavit should be notarized.

प्रारूप-1

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 नवीनीकरण हेतु प्रारूप

कम सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	प्रोपराइटर / पार्टनर के नाम	आवंटित कार्य की समय—सीमा	फर्म द्वारा कार्य पूर्ण करने में लिया गया वास्वविक समय		यदि कार्य निर्धारित अवधि से अधिक समय में पूर्ण किये गये तो उस पर लगायी गयी पेनाल्टी	अद्यतन तिथि तक जमा किया गया जी०एस०टी०	कार्य की गुणवत्ता की जिला / मण्डल / १ ॥सन स्तर से जॉच की आख्या में उठाये गये तथ्य	फर्म के पास उपलब्ध टी०एण्ड पी० का सत्यापन	फर्म द्वारा रखे गये स्टाफ का सत्यापन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कारपोरेशन में ठेकेदारी हेतु ऑनलाइन नवीनीकरण के पंजीकरण हेतु नियम व शर्ते

- 1. यह कि ठेकेदार / फर्म द्वारा पंजीकरण नवीनीकरण हेत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2. यह कि ठेकेदार / फर्म द्वारा पुराने पंजीकरण की छायाप्रति प्रस्तृत करनी होगी।
- यह कि ठेकेदार / फर्म को जिलाधिकारी द्वार निर्गत वैध चिरत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 (नोट-यदि फर्म साझेदारी / कम्पनी है तो सभी साझेदारों / निदेशकों के चिरत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगा)
- 4. यह कि ठेकेदार / फर्म को जिलाधिकारी / बैंक द्वारा जारी वैध हैसियत प्रमाण पत्र श्रेणी वार निम्नानुसार प्रस्तुत कराना होगा।

श्रेणी—ए रू० 125 लाख श्रेणी—बी रू० 50 लाख श्रेणी—सी रू० 12.50 लाख श्रेणी—डी रू० 6.50 लाख

- 5. यह कि ठेकेदार / फर्म द्वारा पंजीकरण के उपरान्त सम्पादित किये गये कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। यदि कोई हो।
- 6. यह कि ठेकेदार/फर्म द्वारा कारपोरेशन में किये गये कार्य/कार्यों का सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक से प्रारूप–1 अनुसार विवरण, संस्तुति पत्र सिहत प्रस्तुत करना होगा। (नोट–ठेकेदार/फर्म द्वारा कारपोरेशन में पंजीकरण के उपरान्त कोई कार्य नहीं किये जाने की दशा में रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र प्रारूप–2 अनुसार देना होगा)
- 7. यह कि ठेकेदार / फर्म को श्रेणी अनुसार पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के पक्ष में देय हो निम्नानुसार जमा करना होगा।

श्रेणी—ए रू० 10000.00+जीएसटी (18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हो)

श्रेणी-बी रू० 8000.00+जीएसटी

(18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हो)

श्रेणी-सी रू० 7000.00+जीएसटी

(18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हो)

श्रेणी—डी रू० 5000.00+जीएसटी

(18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हो)

8. यह कि ठेकेदार / फर्म द्वारा अद्यतन जीoएसoटीoआरo-1 एवं जीoएसoटीoआरo3बीo प्रस्तृत करना होगा।